अनुदान संख्या 68 – खान मंत्रालय
GRANT No. 68 - MINISTRY OF MINES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1737,04,00	1737,05,00	1383,47,01	-353,57,99
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				349,85,99
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		114,36,00	51,81,04	-62,54,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				62,37,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	7361.00	..	..	..
पु.	R.	-7361.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2853" अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	Major Head "2853" Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	162100.00			
पू.	S.	1.00	134911.45	134548.90	-362.55
पु.	R.	-27189.55			

(I) ₹7787.00 लाख का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹6752.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण – निदेशन और प्रशासन – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्यकलाप के अंतर्गत" – पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "2853" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(i) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹2426.04 लाख की बचत (₹71272.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा बिलों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ii) "भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" – ₹614.12 लाख की बचत (₹6148.00 लाख के

(I) Provision of ₹7787.00 lakhs remained wholly unutilized under eleven heads; of these ₹6752.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" - "Geological Survey of India - Direction and Administration -Geological Survey of India Activities" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2853" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Geological Survey of India"-

(a) "Direction and Administration"-

(i) "Geological Survey of India" - saving of ₹2426.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹71272.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards leave travel concession, medical bills and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(ii) "Geological Survey of India Activities" - saving of ₹614.12 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिलों पर कार्यवाही किए जाने में विलंब होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "अनुसंधान और विकास – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" – ₹848.46 लाख की बचत (₹1717.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने, वार्षिक रख–रखाव प्रभारों और रासायनिक प्रयोगशालाओं के लिए स्पेयर पार्ट्स की खरीद के लिए कम निधियों की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(ग) "सर्वेक्षण और मानचित्रण – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" – ₹1592.47 लाख की बचत (₹14820.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(घ) "खनिज अन्वेषण– भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" – ₹939.24 लाख की बचत (₹4130.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कोविड–19 की वजह से आवर्ती आकस्मिकता अग्रिम/अनावर्ती आकस्मिकता अग्रिम बिलों की प्रस्तुति में विलंब होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुईं।

(ङ) "अन्य व्यय – भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण" – ₹4499.13 लाख की बचत (₹11906.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्यालयों की साइटों के बंद होने से मजदूरों का पलायन होने की वजह से कार्य को पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹6148.00 lakhs) was due to delay in processing of bills and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Research and Development - Geological Survey of India Activities" - saving of ₹848.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1717.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, availability of less funds for annual maintenance charges and purchase of spare parts for chemical laboratories.

(c) "Survey & Mapping-Geological Survey of India Activities" - saving of ₹1592.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14820.00 lakhs); and

(d) "Mineral Exploration-Geological Survey of India Activities" - saving of ₹939.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4130.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in submission of Rolling Contingent Advance/Non-Rolling Contingent Advance bills owing to COVID-19 and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(e) "Other Expenditure-Geological Survey of India" - saving of ₹4499.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11906.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and non-completion of work owing to exodus of labourers from the sites with the closure of Geological Survey of India and Central Public Works Department offices.

(खा) "खानों का विनियम न और विकास" –

(क) "खनिज अन्वेषण – राष्ट्रीय खनिज अन्वेकषण न्यास निधि कार्यकलाप" – ₹6689.46 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने, कार्यालय स्थान किराए पर न लिए जा सकने, कोविड–19 के कारण उड़ान प्रतिबंध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा एस्ट्रो–ज्योग्राफिकल सर्वे नहीं किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "खान ब्यूरों" –

(i) "भारतीय खान ब्यूरों" – ₹1852.43 लाख की बचत (₹9968.00 लाख की स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों का न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यालय सह आवासीय भवन का रखरखाव / नवीनीकरण कार्य का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।

(ii) "भारतीय खान ब्यूरो कार्यकलाप" – ₹1320.18 लाख की बचत (₹1765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होने और दावों की प्राप्ति विलंब से होने की वजह से मेसर्स विपरो लिमिटेड एंड एनआईएसजी को भुगतान न होने के कारण हुई।

(iii) "आरक्षित निधियों का अंतरण – राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को अंतरण" – ₹6000.00 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम

(B) "Regulation and Development of Mines" -

(a) "Mineral Exploration - National Mineral Exploration Trust Fund Activities" - saving of ₹6689.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to less tours undertaken, non-materialization of hiring of office space, non-conduction of astro-geographical survey by international agencies owing to flying restrictions owing to COVID-19 and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Bureau of Mines"-

(i) "Indian Bureau of Mines" - saving of ₹1852.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9968.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-execution of maintenance/renovation work of office cum residential building by Central Public Works Department in Maharashtra.

(ii) "Indian Bureau of Mines Activities"- saving of ₹1320.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1765.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, conduction of less training programmes and non-payment to M/s Wipro Ltd. & NISG owing to late receipt of claims.

(iii) "Transfer to Reserve Funds-Transfer to National Mineral Exploration Trust Funds" - saving of ₹6000.00 lakhs (against the sanctioned provision of

गतिविधियों को निधियों से पूरा करने के लिए अंतरण संबंधी कम निधियों की आवश्यकता होने, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास के लिए कार्यालय स्थल किराये पर न लिए जा सकने के कारण हुई।

₹15000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards transfer owing to less activities performed to be met out of funds and non-materialization of hiring of office space for National Mineral Exploration Trust.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹700.02 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत तथा 81 प्रतिशत थीं।

(III) Under two heads savings of ₹700.02 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 10 percent and 81 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4853" अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4853" Capital Outlay on Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries				
मू.	O.	11161.00	5199.00	5181.04	-17.96
पु.	R.	-5962.00			

(I) ₹275.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹275.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) "खनिज अन्वेषण और विकास – अन्य व्यय – भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यकलाप" – ₹5535.96 लाख की बचत (₹10710.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वृहत वार्षिक रखरखाव बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने और

(II) Under "Mineral Exploration and Development - Other Expenditure - Geological Survey of India Activities" - saving of ₹5535.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10710.00 lakhs)

वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

was due to non-finalization of Comprehensive Annual Maintenance bills and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹444.00 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 98 प्रतिशत थीं।

(III) Under one head saving of ₹444.00 lakhs occurred constituting 98 percent of the sanctioned provision.